५/१०/१९	प्रार्थी एवं प्रार्थिनी के अधिवक्ता को बार-बार एक-एक कर आवाज दिलवाई गई परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण को मूल [illegible] हेतु [illegible] से बाद तथा बाद तामील [illegible] लेख पश्चात हो एवं मूल वाद में शामिल हो।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी

[illegible] (राज.)

रा.मु.जो.